



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 806]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 21, 2015/अग्रहायण 30, 1937

No. 806]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 21, 2015/AGRAHAYANA 30, 1937

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

(भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2015

सा. का. नि. 993(अ).—सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21^{वां}) के अनुच्छेद 70 के उप-अनुच्छेद (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्द्वारा घोषित करती है कि यू.आई.डी.ए.आई. की केंद्रीय पहचान डेटा भंडार (सी.आई.डी.आर.) सुविधाएं, इसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सूचना परिसम्पत्तियां, लॉजिस्टिक अवसंरचना और डिपेंडेंसिज़ आदि जो कि यू.आई.डी.ए.आई. (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) के लोकेशन्स पर संस्थापित है – उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के उद्देश्य से संरक्षित सिस्टम माना जाएगा।

आई.टी. एक्ट 2000 (संशोधित 2008) के अनुच्छेद 70 के उप-अनुच्छेद-2 के अनुसार प्राधिकृत कार्मिकों, जिनके पास कार्य आधारित पहुंच होगी, केवल उन्हीं को ही यू.आई.डी.ए.आई.-सी.आई.डी.आर. सुविधाओं तक जाने का अधिकार होगा:

1. यू.आई.डी.ए.आई. के पदनामित आधिकारी और स्टाफ।
2. मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर (एम.एस.पी.) के अनुबंधित सदस्य, जिन्हें यू.आई.डी.ए.आई. ने प्राधिकृत कर रखा हो।
3. अन्य प्राधिकृत थर्ड पार्टी वेंडर्स और इसके पार्टनर्स।
4. यू.आई.डी.ए.आई. के बिजिनेस पार्टनर्स।

[फा. सं. डी- 10(36)/2015-ईजी-II],

राजीव कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY
(Department of Electronic and Information Technology)
(UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2015

G.S.R. 993(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 70 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby declares the UIDAI's Central Identities Data Repository (CIDR) facilities, Information Assets, Logistics Infrastructure and Dependencies Installed at UIDAI (Unique Identification Authority of India) locations to be Protected System for the Purpose of Information Technology Act 2000.

Authorised personnel as per Sub-section (2) of Section 70 of IT Act 2000 (amended 2008) having role based access to UIDAI-CIDR facility are:

1. Designated UIDAI officers & Support Staff.
2. UIDAI authorised team members of contracted Managed Service Provider (MSP).
3. Other authorised third party Vendors and its partners.
4. UIDAI authorised business partners.

[F. No. 10(36)/2015-EG-II]
RAJIV KUMAR, Jt. Secy.